संख्या-118/2016/296/22-2-2016-17(89)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रतिपाल सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह, निवासी जनपद-ललितपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-49391/पर-3/(एम-06-08-2014) दिनांक-11-12-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रतिपाल सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह, निवासी ग्राम चॉदौरा, थाना-नाराहट, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। जमीन के बंटवारे को लेकर बन्दी ने दिनांक 29-01-1999 को प्रात: लगभग 10:00 बजे खेत में काम कर रहे अपने पिता की कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-27/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा दिनांक 30-09-1999 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2015 तक 16 वर्ष 07 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 11 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 19-09-2013 को जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अधीक्षक, कारागार, ललितपुर की उपस्थिति में अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने और बन्दी को कारागार में रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि जमीन के बंटवारे को लेकर बन्दी ने दिनांक 29-01-1999 को प्रात: लगभग 10:00 बजे खेत में काम कर रहे अपने पिता की कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति द्वारा किए गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रतिपाल सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह, निवासी जनपद-ललितपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी प्रतिपाल सिंह (बन्दी संख्या-5505) पुत्र श्री सूरज सिंह, निवासी जनपद-ललितपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-118/2016/296(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-ललितपुर ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-118/2016/296/22-2-2016-17(89)/2016

दिनांक 11 अगस्त, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध प्रतिपाल सिंह (बन्दी संख्या-906/10) पुत्र श्री सूरज सिंह, निवासी ग्राम चॉदौरा, थाना-नाराहट, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। जमीन के बंटवारे को लेकर बन्दी ने दिनांक 29-01-1999 को प्रात: लगभग 10:00 बजे खेत में काम कर रहे अपने पिता की कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-27/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा दिनांक 30-09-1999 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2015 तक 16 वर्ष 07 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 11 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 19-09-2013 को जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अधीक्षक, कारागार, ललितपुर की उपस्थिति में अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने और बन्दी को कारागार में रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि जमीन के बंटवारे को लेकर बन्दी ने दिनांक 29-01-1999 को प्रात: लगभग 10:00 बजे खेत में काम कर रहे अपने पिता की कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति द्वारा किए गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रतिपाल सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह, निवासी जनपद-ललितपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।